

2021/18

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/21	136 CR Act	कुर्सा	दुर्गा
वादी	10807/21	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
डालचन्द		बनाम	राज0 सरकार

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

10/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।

17/21

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार द्वारा से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नहीं हुआ। पुनः तहसीलदार को लिखा जाकर रिपोर्ट लो जाके। पत्रावली बाएक रिपोर्ट जवाब दिनांक 5/5/21 को पेश हो।

5/21

कोरोना संक्रमण
राज्य पीन्यालोन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 8/6/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

8/21

राज्य पीन्यालोन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

12/21

राज्य पीन्यालोन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 17/8/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

17⁸/₂₁

पत्रावली पेश हुई। COVID-19 के कारण आज पेश हुई। तहसीलदार इबडा से रिपोर्ट अप्रत्याशित पुनः तहसीलदार को लिख जावे। वास्तविक रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 22/9/21 को पेश है।



प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

22¹⁰/₂₁

पत्रावली आज प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के मध्य मूडब्या पर पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार इबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इबडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कुण्डी के प्रकरण संख्या 7/021 धारा 136 U.R.A.C.T उनवान डालचंद बनाम सरकार में ग्राम कुण्डी के रवाना संख्या 106 में प्रार्थी का नाम लालचंद पुत्र वंशी भीषा नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, माताशाह कार्ड, राशन कार्ड में डालचंद नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम सरवन से डालचंद के स्थान पर लालचंद दर्ज हो गया है। अतः लालचंद के स्थान पर डालचंद उर्फ लालचंद पुत्र वंशी भीषा किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

पटवारी, G.R. तहसीलदार इबडा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम कुण्डी की आराजी सम्बन्ध 2075-2078 के रवाना संख्या 106 में प्रार्थी का नाम डालचंद के स्थान पर लालचंद हो जाने के फलस्वरूप लालचंद के स्थान पर डालचंद उर्फ लालचंद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार इबडा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें पालना सुनिश्चित करें। आदेश पृथक से जारी है। पत्रावली फाइल शुभारंभ कार दारिजल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

यायालय उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा जिला बारां (राज०)

—: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मु. ०५४५१ व भू.अ.नि. कृ. ०५१०६२ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुंसी तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् २०७५-७८ में खाता संख्या १०६ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कुंसी	106	लालचंद पुत्र बंशी	लालचंद उर्फ लालचंद पुत्र बंशी



म
(मनीषा तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20.21/के.ए. २०५४५१/५९

दिनांक 22.10.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार बारां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लालचंद उर्फ लालचंद पुत्र बंशी निवासी कुंसी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

म
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)